न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।
उपस्थितः अभिनितम उपाध्याय, एच०जे०एस० आई०डी०नं०यू०पी० 6192

CNR No.-UPFR010023552026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–617/2026

गजेन्द्र सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कोबिल, थाना इस्लामपुर, जनपद नालंदा (बिहार)।
.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम
उ०प्र०राज्य .....विपक्षी

&

CNR No.-UPFR010024102026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–648/2026

कुन्दन कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र कमल नयन निवासी बुढहनपुर, मुबारकपुर, पटना (बिहार)।
.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम
उ०प्र०राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–03/2026
धारा–318(4), 317(2), 319(2), 336(3), 338,
340(2) बी०एन०एस० व 66 डी आई०टी०एक्ट
थाना–साइबर क्राइम फतेहगढ।
जनपद–फर्रुखाबाद।

दिनांकः 17.06.2026

1. उक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त/आवेदक गजेन्द्र सिंह एवं अभियुक्त/आवेदक कुन्दन कुमार की ओर से जमानत के लिए पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों ही जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या व एक ही मामला से संबंधित है। अतः सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. अभियुक्त/आवेदक गजेन्द्र सिंह के जमानत प्रार्थनापत्र के साथ पैरोकार क्षितिज मोहन सिंह पुत्र सियाराम सिंह तथा अभियुक्त/आवेदक कुन्दन कुमार के जमानत प्रार्थनापत्र के साथ पैरोकार चन्दन कुमार पुत्र स्व०कमल नैन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिनके अनुसार उक्त प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पूर्व उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण की तरफ से कोई

अन्य जमानत प्रार्थनापत्र इस सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा इस तथ्य का विरोध नहीं किया गया।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी सहित समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा महेन्द्र पाल सिंह के द्वारा थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पर दिनांक 24.02.2026 को समय 13:29 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 03/2026, अंतर्गत धारा 318(4) बी०एन०एस० व 66 डी आई०टी०एक्ट में तथाकथित नाम अनुज मिश्रा मो० नं० 9341623857 के विरुद्ध पंजीकृत करायी गयी जिसकी विवेचना अभी प्रचलित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कथानक संक्षेप में यह है कि अनुज मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर, सरिया रुंगटा कंपनी उत्तर प्रदेश का मोबाइल नंबर 9341623857 वादी ने गूगल से लेकर रुंगटा कंपनी की सरिया मंगवाने के लिए दिनांक 15.02.2026 को संपर्क किया तो बताया गया कि सरिया कम से कम 20 टन पहले बुक करनी होगी उसके बाद सरिया 2–4 दिन में भेज दी जाएगी और उसने प्रोफार्मा इनवाइस बना करके वादी के मोबाइल नंबर 9873056523 पर व्हाट्सएप से भेजा जिसमें राजकुमार इंटरप्राइजेज (CFN) गोरखपुर का बैंक एकाउण्ट नंबर 60544126507, महाराष्ट्र बैंक गोरखपुर IFSC Code No. MAHB0001262 में रुपए 1010750/– सरिया मंगवाने के लिए नेट बैंकिग से वादी ने ट्रांसफर कर दिए जिसमें से दिनांक 17.02.2026 को 50000/–रुपये, दिनांक 18.02.2026 करो 915750/–रुपये, दिनांक 19.02.2026 को 45000/– रुपये भेजे। दिनांक 21.02.2026 को वादी ने फोन कर सरिया भेजने को कहा तो जबाव आया कि 20 टन नहीं थोड़ी और मांग बढ़ानी होगी। इस पर वादी को शक हुआ और वादी ने कहा कि 20 टन की बात हुई थी अब और मेरे पास पैसे नहीं है यदि भेज सकते हो ते भेज देना, नहीं तो पैसे वापस कर देना। थोड़ी देर बाद वादी ने फिर फोन किया तो बताया गया कि आधे घंटा का समय दो बताता हूं, पर भिजवाऊंगा। वादी ने थोड़े समय बाद फिर फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। तब शक गहराने पर वादी ने साइबर थाना में रिपोर्ट पंजीकृत करायी।

5. अभियुक्त/आवेदक गजेन्द्र सिंह के द्वारा जमानत याचिका में लिया गया आधार संक्षेप में यह है कि वह निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक नामित अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त/आवेदक गजेन्द्र द्वारा वादी से न तो धनराशि की मांग की गयी, न ही वादी से रुपया अपने खाते में जमा कराया गया एवं न ही कोई फर्जी बिल बनाकर वादी को व्हाट्सएप पर भेजा गया और न ही आवेदक का रामकुमार पाण्डेय से कोई वास्ता है। पुलिस द्वारा तथाकथित ए०टी०एम० फुटेज दिखाने की बात पूर्णतः असत्य है। आवेदक के पास से तथाकथित घटना से संबंधित किसी सामान अथवा धनराशि की बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस द्वारा बिहार राज्य के थाना पाटिलपुत्र जिला पटना से दिनांक 08.05.2026 को आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी दर्शायी गयी, किन्तु पुलिस द्वारा वैधानिक ट्रांजिट रिमाण्ड प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया गया है। अभियुक्त/आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं न ही वह सजायाफ्ता है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त/आवेदक गजेन्द्र द्वारा जमानत हेतु लिया

गया अतिरिक्त आधार यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस मोबाइल नंबर से ठगी करना बताया गया है वह मोबाइल नंबर आवेदक का नहीं है और न ही कथित बैंक खाता उसका है।

6. अभियुक्त/आवेदक कुन्दन कुमार के द्वारा जमानत याचिका में लिया गया आधार संक्षेप में यह है कि आवेदक पूर्णतयः निर्दोष है और कथित अपराध उसके द्वारा कारित नहीं किया गया है। आवेदक पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और न ही वह आदतन अपराधी है। प्रकरण का मुख्य अभियुक्त गजेन्द्र है और आवेदक द्वारा अभियुक्त गजेन्द्र सिंह के मोबाइल सिम का प्रयोग किया गया है। विवेचक द्वारा ट्रांजिट रिमाण्ड प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है लेकिन मुख्य अभियुक्त गजेन्द्र द्वारा दिए गए बयान पर आवेदक/अभियुक्त को झूठा फसाया गया। अभियुक्त/आवेदक कुन्दन का वादी से किसी प्रकार से संपर्क में नहीं रहा। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। विवेचक द्वारा अभियुक्त/आवेदक की कोई भूमिका उजागर नहीं की गयी है।

7. केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि विवेचना के दौरान बैंक खाता संख्या 60544126507 (**प्रश्नगत बैंक खाता**) का खाता आवेदन फार्म विवेचक द्वारा एकत्रित किया गया जिससे पता चला कि यह बैंक खाता राज कुमार इण्टरप्राइजेज प्रोपराइटर राज कुमार पाण्डेय के नाम से खुला है जिसमें मोबाइल संख्या 7091983180 जुड़ा है और इस मोबाइल नंबर के बावत जांच करने पर ज्ञात हुआ कि यह मोबाइल नंबर सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल के द्वारा कुन्दर कुमार (अभियुक्त) पुत्र कमल नयन सिंह के पक्ष में जारी किया गया है। विवेचक द्वारा उक्त राज कुमार इण्टरप्राइजेज के उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रपत्र भी प्राप्त किये गए जो बैंक खाता खुलने के समय संलग्न किए गए थे। उस उद्यम प्रमाणपत्र में भी मोबाइल नंबर 7091983180 अंकित था। विवेचक द्वारा प्रश्नगत बैंक खाता का सुसंगत विवरण भी प्राप्त किया गया जिससे पता चला कि वादी द्वारा जो रकम प्रश्नगत बैंक खाता में जमा करायी गयी थी वह ए०टी०एम० के माध्यम से निकाली गयी थी। तब विवेचक द्वारा संबंधित ए०टी०एम० का विवरण भी प्रश्नगत बैंक से प्राप्त किया गया। मोबाइल संख्या 7091983180 की लोकेशन तथा प्रश्नगत बैंक खाता से ए०टी०एम० के माध्यम से निकाली गयी रकम दोनों की ही लोकेशन पटना (बिहार) की ज्ञात हुई। तब विवेचक द्वारा पुलिस टीम बनाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग के साथ दिनांक 08.05.2026 को रात्रि 22:40 बजे अभियुक्तगण कुन्दन कुमार एवं गजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया जिसका विवरण आगे दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित मोबाइल नंबर 9341623857 (जिससे पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई) किस व्यक्ति के नाम पर जारी हुआ इस बावत अभी तक विवेचक द्वारा कोई भी विवेचना नहीं की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा प्रथम दृष्टया विवेचक की कमी इंगित करती है। इस बावत अभियोजन अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि विवेचना अभी भी प्रचलित है तथा इस बिन्दु पर भी जांच की जा रही है।

8. फर्द बरामदगी के अनुसार विवेचक निरीक्षक जोगेन्द्र सिंह मय उ०नि०सुबोध यादव मय हमराहीगण के रपट सं० 08 समय 13.47 बजे थाना फतेहगढ़ से रवाना होकर थाना पाटलीपुत्र बिहार पहुंचकर संदिग्ध मोबाइल नंबर 7091983180 (जिसकी लोकेशन थाना पाटलीपुत्र बिहार प्रदर्शित हुई) के बावत जानकारी करने पर दिनांक 08.05.2026 को उक्त मोबाइल नंबर का म०नं० 298 वन विभाग नेहरू नगर में मौजूद होना पता चला जिस पर विवेचक मय टीम व स्थानीय पुलिस के मौके पर पहुंचे तो वहां एक युवक मौजूद

मिला जिसने अपना नाम कुन्दन कुमार पुत्र कमल नयन सिंह बताया जिसकी जामा तलाशी पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से 04 एयरटेल व 02 जिओ की सिम, एक मोबाइल रियल मी नारजो 50 IMEI No. 86957603215676 एवं 86957603215668 मिला जिसमें घटना से संबंधित खाते में लगा मोबाइल नंबर 7091983180 व अन्य मोबाइल नंबर 6203730627 मिला व दाहिनी जेब से मोबाइल पोको एम 6 IMEI No. 868398061373873 में मोबइल नंबर 7992094903 चालू अवस्था में पाया गया। पूछताछ में अभियुक्त कुन्दन द्वारा प्रश्नगत खाता उसके गांव के राजकुमार पाण्डेय का होना बताया गया। अभियुक्त कुन्दन के कमरे से एक नोट बुक मिली जिसमें बहुत सारे हस्तलिखित खातों का विवरण, दो चैक बुक ए०यू०स्माल फाइनेन्स बैंक खाता धारक सौरभ सोनी, कोटिक महिन्द्रा बैंक खाता सं० 8548000223 की सभी चैकों पर खाताधारक के पूर्व हस्ताक्षरित चैकें, 06 डेबिट कार्ड (भिन्न भिन्न बैंक खाता के) एवं पासबुक बरामद हुई। पुलिस द्वारा बैंक से प्राप्त अन्य वीडियो फुटेज जिसमें साइबर ठगी में प्रयोग हुए राजकुमार पाण्डेय के बैंक खाता से ए.टी.एम. के जरिए निकासी करने वाले संदिग्ध व्यक्ति की पहचान उसने अपने दोस्त गजेन्द्र सिंह के रूप में की तथा उसका मोबाइल नंबर 9262671801 बताया। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति को पकड़वाने हेतु अभियुक्त कुन्दन के कहने पर पुलिस पार्टी बोरिंग रोड चौराहे के पास पहुंची जहां से अन्य अभियुक्त गजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसकी जामा तलाशी में पहने हुए लोअर से 13 हजार रुपये, 02 जियो व 01 एयरटेल की सिम, दो मोबाइल रियल मी नारजो एन 61 व ओप्पो ए 3 एस, 07 भिन्न भिन्न बैंक के ए०टी०एम० कार्ड बरामद हुए। अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 22.40 बजे (दिनांक 08.05.2026 को) गिरफ्तार किया गया तथा संबंधित थाना पाटलीपुत्र में अभियुक्तगण को दाखिल कर थाना पाटलीपुत्र से रवाना होकर दिनाकं 09.05.2026 को दोनों अभियुक्तगण को लेकर विवेचक थाना वापस आए। दिनांक 09.05.2026 को ही न्यायालय के समक्ष पेश कर दोनों अभियुक्तगण का रिमाण्ड कराया गया।

9. इस प्रकार दोनों अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रियाओं के अनुपालन के बावत अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि भले ही अभियुक्तगण का ट्रांजिट रिमाण्ड पटना (बिहार) के न्यायालय से नहीं लिया गया, परन्तु गिरफ्तारी के 24 घण्टे के अन्दर दोनों अभियुक्तगण को फर्रुखाबाद के सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर उनका रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया।

10. उक्त विश्लेषण से प्रथम दृष्टया यह दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त कुन्दन कुमार की संलिप्तता पूरे प्रकरण में है क्योंकि प्रश्नगत बैंक खाता (जिसमें वादी द्वारा रकम जमा की गयी) को परिचालित करने वाला मोबाइल नंबर 7091983180 अभियुक्त कुन्दन कुमार के पक्ष में ही एयरटेल कंपनी द्वारा जारी किया गया है। अभियुक्त गजेन्द्र सिंह के बावत हालांकि यह कथन सही है कि प्रश्नगत बैंक खाता अथवा मोबाइल नंबर से अभी तक अभियुक्त गजेन्द्र सिंह का कोई भी सीधा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है, परन्तु प्रश्नगत बैंक खाते से ए०टी०एम० के माध्यम से पटना (बिहार) में की गयी धन निकसी के सी०सी०टी०वी० फुटेज में अभियुक्त गजेन्द्र सिंह की उपस्थिति दर्शित हो रही है। अभियुक्त कुन्दन कुमार के द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गये बयान में तथा न्यायालय में प्रस्तुत जमानत याचिका में भी यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत साइबर ठगी का प्रमुख सरगना अभियुक्त गजेन्द्र सिंह है। प्रकरण में जैसा कि ऊपर वर्णित है कि मोबाइल संख्या

9341623857 (जिससे पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई) के बावत अभी भी विवेचना प्रचलित है, साथ ही कथित बैंक खाता राजकुमार इण्टरप्राइजेज के पूरे वित्तीय परिचालन के बावत भी जांच की जा रही है। साथ ही गिरफ्तारी के समय दोनों अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद विभिन्न बैंक खातों के ए०टी०एम०कार्ड, मोबाइल एवं सिम कार्ड, पूर्व हस्ताक्षरित चैक तथा पासबुक के बावत भी विवेचना अभी प्रचलित है।

11. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह देखते हुए कि प्रकरण साइबर ठगी से संबंधित है, अभियुक्त कुन्दन कुमार की सीधी संलिप्तता प्रश्नगत बैंक खाते से होना दर्शित है, अभियुक्त गजेन्द्र सिंह द्वारा साइबर ठगी की रकम को प्रश्नगत बैंक खाते से निकालने के बावत सी०सी०टी०वी० फुटेज उपलब्ध है, अभियुक्त कुन्दन कुमार के बयान के अनुसार अभियुक्त गजेन्द्र सिंह ही प्रकरण का प्रमुख सरगना है तथा मामले में अभी अग्रेतर विवेचना प्रचलित है, मेरे मत में गुण–दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना दोनों अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

12. अभियुक्तगण/आवेदकगण गजेन्द्र सिंह एवं कुन्दन कुमार की ओर से पृथक–पृथक प्रस्तुत किये गये जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाते हैं।

13. जमानत आदेश की एक–एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद व जेल अधीक्षक, जिला कारागार फतेहगढ़ को प्रेषित की जाए तथा एक–एक प्रति अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्राप्त करायी जाए।

14. इस जमानत आदेश को दोनों ही जमानत प्रार्थनापत्र पर रखा जाए।

दिनांक–17.06.2026

(**अभिनितम उपाध्याय**)
आई०डी०नं०यू०पी० 6192
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
फर्रुखाबाद।